

10.8.2021 अतिरिक्त उपस्थिति दूआ

COVID-19 के कारण सभी तीन अभियुक्तों का प्रस्ताव

1. अदालत लाहौर को लगभग 45 वर्षों से अतिरिक्त प्रस्ताव
लगभग 70 वर्षों से 3. को खारिज अतिरिक्त प्रस्ताव 50 वर्ष
के पैरवी नहीं की गई अतः निर्णय को अतिरिक्त पैरवी
अतिरिक्त आवलोकन से प्राप्त होता है कि अभियुक्तों के

विवाद संज्ञा न्याय - 147, 148, 149, 341, 323, 324,
427, 504, 506, 354, 302, 109/34 गारुड वि० अतिरिक्त

अतिरिक्त निर्णय है कि न्याय - 302 गारुड वि० अतिरिक्त
एक से सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय है अतः न्याय सत्र
न्यायालय को दोष मुक्त किया जाता है अतः न्याय सत्र
गुरु गारुड दोषी के साथ समन्वित सत्र न्यायालय में न्याय
न्याय सत्र अभियुक्तों के न्याय अतिरिक्त प्रस्ताव कि एकपक्षी
विवाद लोक अतिरिक्त को न्याय

दि० 24.8.2021 सत्र न्यायालय में

अतिरिक्त

अतिरिक्त